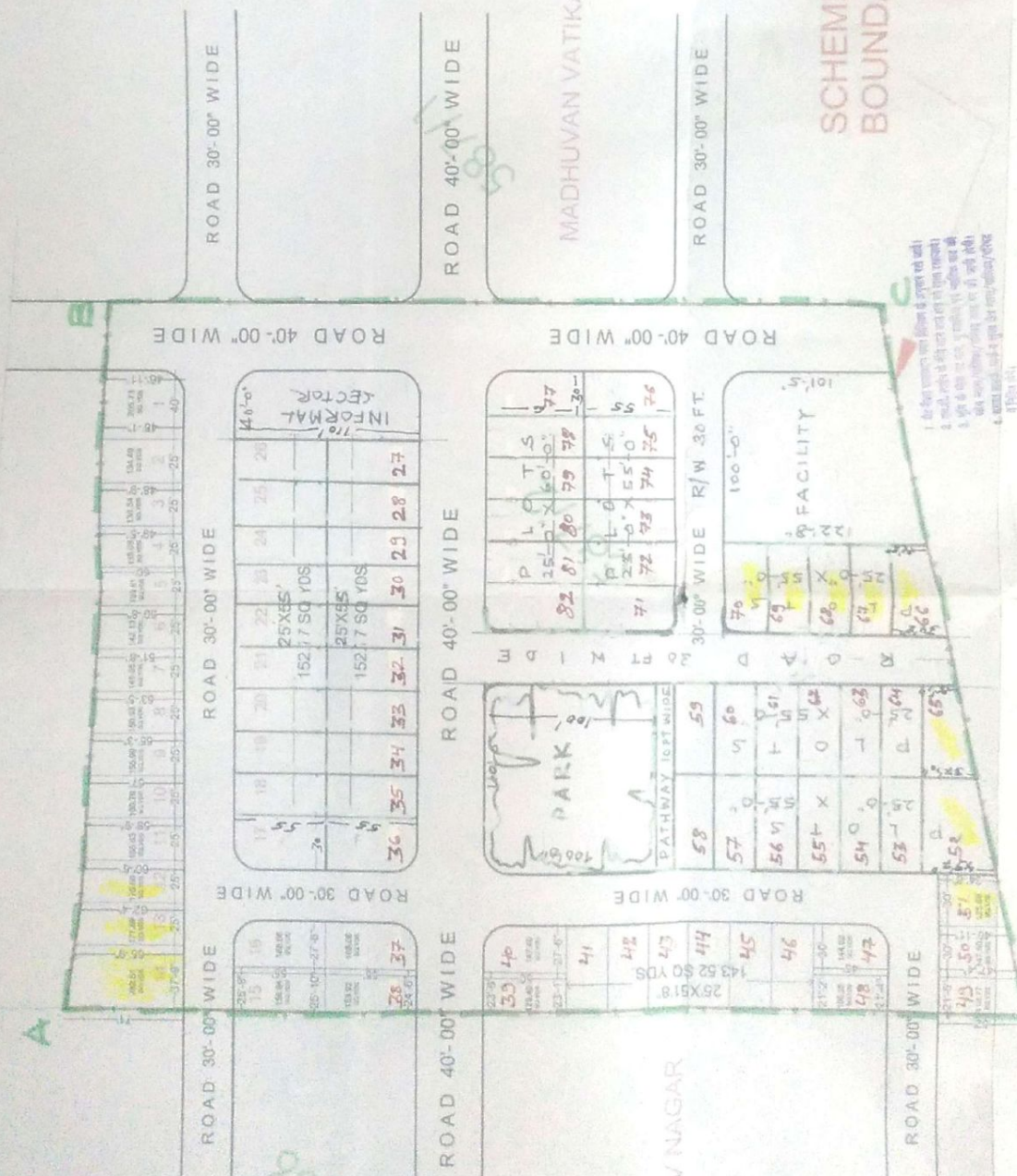


PROPOSED LAY-OUT PLAN OF MADHUVAN VATIKA



MADHUVAN VATIKA PHASE - I

SCHEME BOUNDARY

LAND USE AND AREA
ANALYSIS CHECKED

"A" and
LAYOUT PLAN/SCHEME/DESIGN
APPROVED WITH CONDITIONS VIDE JUDICIAL
OFFICE LETTER NO. 1180 DATED 16/01/2014

khassara line

MADHUVAN VATIKA

KEY PLAN
NOT TO THE SCALE

KHASARA LINE
SCHEME BOUNDARY
AREA ANALYSIS

S.No.	USE	AREA IN SQ. FT.	%
1	RESIDENTIAL	116222.00	53.59
2	INFORMAL SECTOR	4488.00	2.04
3	FACILITY	11196.00	5.14
4	PARK	11000.00	5.03
5	ROAD	72456.00	33.24
	TOTAL	116222.00	100.00

UZI 287

SCALE 1" = 50'

LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN

PROPOSED LAY OUT-OF

KSHAMESHVAR
BIKANER

OTHERS

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

क्रमांक :- न्यास/डी.टी.पी शाखा/2017 / 12957

दिनांक :- 31/1/18

श्री गोपाल मोदी पुत्र श्री मांगीलाल मोदी

निवासी- 4 डी 12 जयनारायण व्यास कॉलोनी,
बीकानेर।

विषय :- ग्राम किश्मीदेसर के खसरा नं. 587/2 का ले-आऊट मानचित्र योजना का स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि ग्राम किश्मीदेसर के खसरा नं. 587/2 में स्थित 02.00 हैक्टर भूमि में मधुवन वाटिका योजना के ले-आऊट वरिष्ठ नगर नियोजन बीकानेर के पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:10/बीकानेर/778 दिनांक 16.05.2014 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा दिनांक 25.09.2017 को स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त आवासीय योजना की रुपान्तरण राशि 46,98,820/- जरिये चालान नं 69, 101,201 दिनांक 23.01.2018 रुपान्तरण राशि, लीजमनी, बाह्य विकास शुल्क एक मुश्त न्यास कोष में जमा हो चुके हैं। उक्त ले-आऊट मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. योजना धारक द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति बंधक पत्र अनुसार इस ले-आऊट मानचित्र योजना के आन्तरिक विकास का कार्य गुणवत्ता के अनुसार योजना धारक द्वारा स्वयं करवाया जावेगा।
 2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 26.06.2010 (राजस्थान टाऊनशिप योजना 2010) तथा दिनांक 31.05.2012 में उल्लेखित शर्तों एवं समय-समय पर होने वाले राज्य आदेशों की पालना हेतु बाध्य रहेगा तथा ले-आऊट मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये 11 आवासीय भूखण्डों की बाउण्ड्री के भूखण्ड न्यास में रहन रहेंगे उक्त भूखण्डों को योजना के आन्तरिक विकास कार्य सम्पूर्ण करवाने व बाहरी विकास राशि जमा होने पर नियमानुसार भूखण्डों को रहन मुक्त किये जाने के उपरान्त योजना धारक विक्रय कर सकेगा।
 3. स्वीकृत ले-आऊट मानचित्र में जो क्षेत्र सुविधा क्षेत्र (सड़क, खुली भूमि, स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि) पर न्यास का स्वामित्व रहेगा।
- संलग्न-ले-आऊट मानचित्र

(आर.के. जायसवाल IAS)
सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर